न्यायालय, सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) जैतारण (जिला-पाली) राज.

पीठासीन अधिकारी : **श्रीमती मधुलिका सींवर, आर0ए0एस0**
राजस्व प्रा0 पत्र सं0 : 187/2019 (55/2019)
GCMS NO. : **2019/00011**

-:: सायल ::-	बनाम	-:: गैरसायलान ::-
1. भारतराम पुत्र अचलाराम जाति- देवासी(राईका), निवासी- बलाड़ा, तहसील- जैतारण, जिला- पाली।		1. अचलाराम पुत्र धनाराम जाति देवासी (राईका) निवासी बलाडा, तहसील जैतारण जिला पाली। 2. सुखराम पुत्र अचलाराम जाति देवासी (राईका) निवासी बलाडा, तहसील जैतारण जिला पाली। 3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार जैतारण जिला पाली। 4. गीता पुत्री अचलाराम 5. सन्तोष पुत्री अचलाराम 6. रेखा पुत्री अचलाराम जातियान-देवासी निवासीगण बलाड़ा तहसील जैतारण जिला पाली।

राजस्व प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अर्न्तगत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

तारीख रजूः 25/09/2019

उपस्थितः. 1. श्री सुरेश चौधरी, अधिवक्ता, प्रार्थी।
2. श्री चावण्डदान बारहठ, अधिवक्ता, अप्रार्थीगण।

-:: निर्णय :- **दिनॉकः 29/09/2022**

वकील मय प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत् इस आशय का पेश किया कि गांव बलाड़ा, तहसील जैतारण जिला पाली में संयुक्त हिन्दू परिवार की कृषि भूमि मूल खसरा नम्बर 1105 रकबा 15-12 बीघा, खसरा नम्बर 1348 रकबा 03-08 बीघा, खसरा नम्बर 1349/1 रकबा 10 बिस्वा, खसरा नम्बर 1105/1 रकबा 02-12 [illegible] नम्बर 1106/1 रकबा 13 बीघा, खसरा नम्बर 1349 [illegible] भूमि स्थित है। उपर वर्णित कृषि भूमि मूल रूप से प्रार्थी के दादा तथा अप्रार्थी संख्या एक के पिता स्व. धनाराम के

Signature Not Verified
Digitally signed by Madhulika Seenver
Date: 2022.10.06 20:07:20 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक) जैतारण (पाली)

कब्जा काश्त की व खातेदारी की भूमि रही है तथा धनाराम जी से पहले धनाराम जी के पिता के खातेदारी की रही है। इस प्रकार उक्त भूमि प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण की पैतृक पुश्तैनी भूमि है। धनाराम के दो पुत्र अचलाराम तथा हापूराम हुए धनाराम के स्वर्गवास होने पर उपर वर्णित कृषि भूमि का आपसी सहमती से दोनो पुत्रों हापुराम व अचलाराम ने बंटवाड़ा कर लिया जिसमें हापूराम के खाते में व बंट में खसरा नम्बर 1105 रकबा 15-12 बीघा, खसरा नम्बर 1348 रकबा 03-08 बीघा, खसरा नम्बर 1349/1 रकबा 10 बिस्वा कुल 19-10 बीघा भूमि रखी गई तथा अचलाराम के खाते में व बंट में खसरा नं 1105/1 रकबा 2-12 बीघा, खसरा नम्बर 1106/1 रकबा 13 बीघा, खसरा नम्बर 1349 रकबा 03-19 बीघा कुल 19-11 बीघा भूमि रखी गई। हापुराम व अचलाराम दोनों के उपरोक्तानुसार भूमि के खाते अलग अलग कर दिये गये तथा जमाबन्दीया अलग-अलग बना दी गई। उपरोक्त संयुक्त हिन्दू परिवार की पैतृक पुश्तैनी भूमि खसरा नं 1105/1 रकबा 2-12 बीघा, खसरा नम्बर 1106/1 रकबा 13 बीघा, खसरा नम्बर 1349 रकबा 03-19 बीघा कुल 19-11 बीघा भूमि में प्रार्थी का 1/3 हिस्सा, अप्रार्थी संख्या एक का 1/3 हिस्सा, अप्रार्थी संख्या दो का 1/3 हिस्सा बनता है उपरोक्त कृषि भूमि संयुक्त हिन्दू परिवार की पैतृक पुश्तैनी भूमि होने से प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 2 को उक्त भूमि में जन्म से अधिकार अर्जित हो चुके है। उपरोक्त कृषि भूमि में प्रार्थी संख्या एक 1/3 हिस्से पर तथा अप्रार्थी संख्या एक 1/3 हिस्से पर तथा अप्रार्थी संख्या दो 1/3 हिस्से पर संयुक्त रूप से काश्त करते है एवं अपना जीवन यापन कर रहे है। संयुक्त हिन्दू परिवार की उपरोक्त पैतृक पुश्तैनी भूमि का कोई विभाजन सह-खातेदारान के बीच नहीं हुआ है इस कारण किसी भी सह खातेदार को बिना विभाजन के इस भूमि के किसी भी भाग के संदर्भ में हस्तान्तरण के अधिकार प्राप्त नहीं है। अप्रार्थी संख्या 1 वृद्ध हो चुके है एवं कुछ समय से उनका स्वभाव बिना किसी कारण के उग्र एवं चिड़चिड़ा होने लग गया तथा राजस्व रेकर्ड में भूमि उनके नाम दर्ज होने से वे प्रार्थी को इसका हस्तान्तरण करने की धमकीया देने लग गये। अप्रार्थी संख्या 1 ने प्रार्थी को उनके जायज अधिकारो से वंचित करने के उददेश्य से दिनांक 15.03.2019 को संयुक्त हिन्दू परिवार की उपरोक्त अविभाजित भूमि को बेचान करने के उददेश्य से अजनबी क्रेता को लाकर जमीन दिखाई है तथा बेचान करने की फिराक में है। अप्रार्थी संख्या 1 राजस्व रेकर्ड के इन्द्राजो का फायदा उठाते हुए भूमि का हस्तान्तरण कर सकता है। अप्रार्थी उपरोक्त भूमि को बेचान करने में सफल हो जाता है तो प्रार्थी को अपार नुक्सान होगा जिसकी पूर्ति सम्भव नहीं होगी। इस कारण प्रार्थी अप्रार्थीगण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के भी मुश्तहक है। प्रथम दृष्टया केस एवं सुविधा का सन्तुलन प्रार्थी के पक्ष में है। मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुए अप्रार्थीगण के विरूद्ध निषेधाज्ञा जारी की जाना जरूरी है। अतः प्रार्थना-पत्र [illegible] निवेदन है कि ताफैसला वाद अस्थाई निषेधाज्ञा बहक प्रार्थी [illegible] आशय की जारी की जावे कि

Signature Not Verified
Digitally signed by Madhulika Seenver
Date: 2022.10.06 20:07:20 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक) जैतारण (पाली)

मूल वाद के निर्णय तक अप्रार्थी संख्या 1 विवादग्रस्त भूमि खसरा नं 1105/1 रकबा 2–12 बीघा, खसरा नम्बर 1106/1 रकबा 13 बीघा, खसरा नम्बर 1349 रकबा 03–19 बीघा कुल 19–11 बीघा भूमि का किसी अन्य को हस्तान्तरण नहीं करें।

इस पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। गैरसायलान को जरिये नोटिस के तलब किये गये। गैरसायल संख्या 1,2, 4 से 6 ने जवाब प्रार्थना–पत्र पेश किया, जो सा.मि. है।

गैरसायल संख्या 1,2, 4 से 6 ने अपने जवाब प्रार्थना पत्र में कथन किया कि राजस्व ग्राम बलाड़ा में गैरसायल संख्या एक की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की भूमि खसरा नम्बर 1105 रकबा 15–12 बीघा, खसरा नम्बर 1348 रकबा 03–08 बीघा, खसरा नम्बर 1349/1 रकबा 10 बिस्वा, खसरा नम्बर 1105/1 रकबा 02–12 बीघा, खसरा नम्बर 1106/1 रकबा 13 बीघा, खसरा नम्बर 1349 रकबा 03–19 बीघा भूमि में गैरसायल संख्या 1 अचलाराम रिकोर्डेड काबिज खातेदार काश्तकार है जो राजस्व रेकर्ड से पूर्णतया साबित है। प्रार्थना पत्र का पद संख्या दो में वर्णित तथ्य रेकर्ड के अभाव में लाईल्मी होने से अस्वीकार है। प्रार्थना पत्र का पद संख्या तीन में वर्णित तथ्य पूर्णतया गलत व बेबुनियाद है जिसे गैरसायलान नामंजूर करता है। धनाराम की मृत्यु के बाद वादग्रस्त आराजी का आपसी सहमति से दोनों पुत्रों हापुराम व अचलाराम मध्य बंटवाड़ा हो जाने से सायल को कानूनी रूप से कोई हक अधिकार प्राप्त नहीं होते है क्योंकि संयुक्त हिन्दु मुस्तर्का खानदान की अविभक्त कृषि भूमि का बंटवाड़ा होने के तथ्यों को सायल स्वयं द्वारा स्वीकार किया गया है इसलिए जब संयुक्त हिन्दु मुस्तर्का खानदान की अविभक्त शामलाती भूमि का विधिवत् बंटवाड़ा होने से सायल को पुनः बंटवाड़ा करवाने का कोई कानूनी हक अधिकार प्राप्त नहीं होते है। प्रार्थना पत्र का पद संख्या चार में वर्णित तथ्य राजस्व रेकर्ड के अभाव में लाइल्मी होने से अस्वीकार है। जबकि मौजूदा राजस्व रेकर्ड में गैरसायल संख्या एक अचलाराम बतौर रिकोर्डेड खातेदार काश्तकार के काबिज है व काश्त कर अपना जीवन यापन करते आ रहे है उक्त वादग्रस्त भूमि से सायल का कोई कब्जा काश्त नहीं है ना ही गैरसायल संख्या एक के जीवनकाल में कोई हक अधिकार प्राप्त करने का अधिकारी है। प्रार्थना पत्र का पद संख्या पांच में वर्णित तथ्य पूर्णतया गलत होने से गैरसायलगण नामंजूर करते है। राजस्व रेकर्ड मय नक्शा ट्रेश में वादग्रस्त आराजी का कोई बंटवारा नहीं हो रखा है उक्त सम्पूर्ण वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 1105/1, खसरा नम्बर 1106/1, खसरा नम्बर 1349 कुल रकबा 19–11 बीघा भूमि गैरसायल संख्या एक अचलाराम के नाम बतौर रिकोर्डेड खातेदार काश्तकार के दर्ज है। इस जमीन मय भू–भाग में सायल का 1/3 वां हिस्सा होने के कथन दावा करने को गलत व झूठे आयत किये गये है। सायल स्वयं द्वारा वाद पत्र में धनाराम की मृत्यु के बाद भूमि का हापुराम व गैरसायल अचलाराम के मध्य बंटवाड़ा होने का कथन किया गया है इसलिए उक्त

Signature Not Verified
Digitally signed by Madhulika Seenver
Date: 2022.10.06 20:07:20 IST
Reason: SelfAttested

वादग्रस्त भूमि संयुक्त हिन्दु परिवार की पैतृक पुश्तैनी होने का अब प्रश्न ही पैदा नहीं होता है उक्त तथ्यों के अलावा पुरा फिकरा गलत होने से अस्वीकार है। प्रार्थना पत्र का पद संख्या छह में वर्णित तथ्य पूर्णतया गलत होने से गैरसायलगण नामंजूर करते है। वादग्रस्त आराजी गैरसायल संख्या एक अचलाराम के नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज है जिसके विधिक वारिसान गैरसायल संख्या दो सुखदेव, गैरसायल संख्या चार गीता, गैरसायल संख्या पांच सन्तोष व गैरसायल संख्या छह रेखा है जो अपने पिता के देहान्त के बाद बतौर उत्तराधिकारी के वादग्रस्त भूमि विरासत में प्राप्त करने के कानूनी अधिकारी है उक्त तथ्यों के अलावा पुरा फिकरा गलत होने से अस्वीकार है। प्रार्थना पत्र का पद संख्या सात में वर्णित तथ्य गलत होने से अस्वीकार है। संयुक्त हिन्दू परिवार की उपरोक्त पैतृक पुश्तैनी भूमि का कोई विभाजन सह–खातेदारान के बीच नहीं होने के तथ्य पूर्णतया गलत व असत्य है। उक्त भूमि से सायल आऊट ऑफ पजेशन है तथा गैरसायल संख्या 1 अचलाराम को वृद्धावस्था में दुःख, तकलीफ व सम्पत्ति हड़पने की नियत से मनगढन्त तथ्यों पर झूठा दावा प्रस्तुत किया है जो काबिल खारिज के है। प्रार्थना पत्र का पद संख्या आठ में वर्णित तथ्य पूर्णतया गलत होने अस्वीकार है। वृद्धावस्था में सायल से भरण पोषण की जायज मांग गैरसायल संख्या 1 द्वारा करने के कारण मनगढन्त तथ्यों के आधार पर झूठा दावा प्रस्तुत किया है। प्रार्थना पत्र का पद संख्या नौ में वर्णित तथ्य पूर्णतया गलत होने से अस्वीकार है गैरसायल संख्या एक ने सायल को उनके जायज अधिकारों से वंचित करने के उद्देश्य से दिनांक 15.03.2019 को संयुक्त हिन्दू परिवार की उपरोक्त अविभाजित भूमि को बैचान अजनबी क्रेता को लाकर जमीन दिखने के तथ्य दावा करने की गरज से झूठे आयत किये गये है जबकि गैरसायल संख्या एक अचलाराम वादग्रस्त आराजी में पैदवार फैसलों से आमदानी का एक मात्र जरिया है उक्त जमीन को अजनबी क्रेता को बैचान करने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता है बल्कि सायल भारतराम, गैरसायल संख्या 1 अचलाराम को वृद्धावस्था में दुःख, तकलिफ पहुंचा रहा है साथ ही मानसिक एवं शारीरिक रूप से उत्पीड़न कर हिंसा कारित कर रहा है। प्रार्थना पत्र का पद संख्या दस में वर्णित तथ्य पूर्णतया गलत होने से अस्वीकार है। वादग्रस्त भूमि संयुक्त हिन्दू परिवार की पैतृक भूमि होने के कथन पूर्णतया गलत है उक्त भूमि राजस्व रेकर्ड में गैरसायल संख्या एक अचलाराम के नाम दर्ज है व गैरसायल संख्या एक अचलाराम को अपनी खातेदारी एवं कब्जे काश्त की भूमि का इच्छानुसार उपयोग–उपभोग करने का कानूनी अधिकार है सायल को गैरसायलान की खातेदारी एवं कब्जा काश्त भूमि में बाधा, व्यवधान, रोकटोक पैदा करने का कोई कानूनी हक अधिकार नहीं है ना ही किसी प्रकार की खातेदारी घोषणा, बंटवारा अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी है। इस कारण से सायल का अस्थाई निषेधाज्ञा पत्र काबिल खारिज के [illegible]यल का वादग्रस्त आराजी में कोई कब्जा काश्त है ही नही तो [illegible] का प्रश्न ही पैदा नहीं होता है। राजस्व रेकर्ड एवं मौके [illegible] पर अप्रार्थीगण/गैरसायलान

Signature Not Verified
Digitally signed by Madhulika Seenver
Date: 2022.10.06 20:07:20 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक) जैतारण (पाली)

के पक्ष में सुविधा का प्रथम दृष्ट्या मामला एवं सुविधा का सन्तुलन पूर्णतया साबित है सायल/प्रार्थी को गैरसायल के कब्जा काश्त की भूमि में दखलांदाजी, रोकटोक पैदा करने से अपूरणीय क्षति गैरसायल को होगी, जिसकी क्षतिपूर्ति का मूल्यांकन किसी कदर सम्भव नहीं है इस कारण से सायल/प्रार्थी, गैरसायलान/अप्रार्थीगण के खिलाफ कोई अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है सायल/प्रार्थी का प्रार्थना पत्र काबिल खारिज के है।

बहस वकील उभयपक्ष राजस्व प्रार्थना पत्र बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा अर्न्तगत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 पर सुनी गई। हमनें विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात के अवलोकन एवं विधिक प्रास्थिति के आधार पर प्रकरण का बिन्दुवार विवेचन एवं निर्णयन इस प्रकार है–

1. **प्रथम दृष्ट्या मामलाः–** प्रार्थी द्वारा मूल वाद बाबत् घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88,53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 विरूद्ध प्रतिवादीगण प्रस्तुत कर यह हस्तगत प्रार्थना–पत्र बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि वादग्रस्त आराजी (खसरा संख्या 1105/1, 1106/1, 1349) प्रार्थी के पिता (प्रतिवादी संख्या 1) की पैतृक पुश्तैनी आराजी है जिसमें प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 2 को उक्त आराजी में जन्म से हक–अधिकार निहित है व उक्त आराजी में स्वयं का 1/3 वां हिस्से पर हक अधिकार निहित होने के कथन किये। अप्रार्थीगण ने अपने जवाब प्रार्थना–पत्र में हस्तगत अस्थाई निषेधाज्ञा प्रा.पत्र का खण्डन करते हुए यह कथन किया कि अप्रार्थी संख्या 1 वादग्रस्त आराजी का अभिलिखित खातेदार है तथा पिता अप्रार्थी संख्या 1 के 2 पुत्र व 3 पुत्रियां है जबकि प्रार्थी ने वादग्रस्त आराजी में स्वयं का 1/3 वां हिस्सा व अप्रार्थी संख्या 1 व 2 का 1/3, 1/3 वां हिस्सा होने के कथन किये है जो असत्य है। पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि प्रार्थी द्वारा अपनी 3 बहनें होने के तथ्य को प्रकट नहीं किया जिससे यह प्रतीत होता है कि प्रार्थी न्यायालय में स्वच्छ हाथों से उपस्थित नहीं हुए। प्रार्थी यह साबित करने में पूर्णतया विफल रहे है कि किस प्रकार वादग्रस्त आराजी के 1/3 वां हिस्से तक प्रार्थी के पक्ष में प्रथम दृष्टया मामला निहित है जबकि अप्रार्थी संख्या 1 के 3 पुत्रियां भी है जिन्हें बाद में अप्रार्थीगण के प्रा.पत्र प्रस्तुत करने पर मूल वाद व हस्तगत प्रार्थना–पत्र में पक्षकार संयोजित किया गया। अतः प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के विरूद्ध स्थापित होता है।

2. **सुविधा का संतुलनः–** प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के विरूद्ध स्थापित हुआ है। प्रार्थी द्वारा वादग्रस्त आराजी में अपना 1/3 वां हक–हिस्सा होने के कथन किये है जबकि पत्रावली पर उपलब्ध [illegible] बलाड़ा की खसरा नम्बर 1105 रकबा 15–12 बीघा, [illegible] रकबा 03–08 बीघा, खसरा नम्बर 1349/1 रकबा [illegible] 1105/1 रकबा 02–12

Signature Not Verified
Digitally signed by Madhulika Seenver
Date: 2022.10.06 20:07:20 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक) जैतारण (पाली)

बीघा, खसरा नम्बर 1106/1 रकबा 13 बीघा, खसरा नम्बर 1349 रकबा 03-19 बीघा की जमाबन्दी संवत् 2069-2072 एवं संवत् 2073-2076 के अनुसार अप्रार्थी संख्या 1 (प्रार्थी के पिता) वादग्रस्त आराजी के अभिलिखित खातेदार है। अप्रार्थी ने सशपथ यह कथन किया कि प्रार्थी संख्या 1 के पांच संतान (2 पुत्र व 3 पुत्रियां) जिसका प्रार्थी द्वारा खण्डन भी नहीं किया गया। प्रार्थी द्वारा ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है जिससे प्रार्थी का वादग्रस्त आराजी के 1/3 वां हिस्से पर सुविधा का संतुलन निहित होना साबित होता हो। अतः यह बिन्दू भी प्रार्थी के विरूद्ध साबित होता है।

3. **अपूरणीय क्षतिः-** पूर्व विवेचित दोनो बिंदू प्रार्थी के विरूद्ध साबित हुए है। साथ ही, प्रार्थी द्वारा ऐसा कोई विश्वसनीय तथ्य या दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया है जिससे यदि प्रार्थी के पक्ष में वादग्रस्त आरजी के 1/3 वां हिस्से के संबंध में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की गई तो उसे अपूरणीय क्षति कारित होगी जबकि प्रार्थी के पिता अप्रार्थी संख्या 1 वादग्रस्त आराजी के अभिलिखित खातेदार है। जब तक कि अन्यथा साबित न कर दिया जाए, यदि किसी अभिलिखित खातेदार के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई तो उसे अपने खातेदारी अधिकारों के उपयोग-उपभोग में बाधा उत्पन्न होगी जिससे अप्रार्थी संख्या 1 को अपूरणीय क्षति कारित हो सकती है। अतः यह बिंदू भी प्रार्थी के विरूद्ध साबित होता है।

उपर्युक्त बिन्दूवार विवेचन के आधार पर हमारा यह विनम्र अभिमत है कि हस्तगत प्रकरण प्रार्थी/वादी के पक्ष में बखूबी साबित नहीं होने से अस्वीकार किया जाना विधिसंगत होगा।

-:: आदेश ::-

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में निष्कर्षतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी/वादी अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 प्रार्थी के पक्ष में बखूबी साबित नहीं होने तथा सारहीन होने से खारिज/अस्वीकार किया जाता है। पत्रावली इसी माफिक निर्णीत होकर संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक),
जैतारण, जिला-पाली (राज.)

निर्णय आज दिनॉक 29/09/2022 को सर-ए-इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक),
जैतारण, जिला-पाली (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Madhulika Seenver
Date: 2022.10.06 20:07:20 IST
Reason: SelfAttested